प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

वर्ष– 2022

1. जिला– चौकी, एसीबी, पाली थाना– सीपीएस, एसीबी, जयपुर
प्र. इ. रि. स. 280/22 दिनांक 12/7/2022

2. (अ) अधिनियम ... भ. नि. (संशोधन) अधिनियम 2018 ... धारायें...7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
(ब) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायें ......120बी भा.द.स.
(स) अधिनियम ...... धारायें ......
(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ......

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या 223 समय 3:10 PM
(ब) अपराध घटने का दिन– ...... दिनांक 11.07.2022 समय 02.14 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 15.02.2022 समय......01:00 पी.एम....... बमुकाम ......पाली......

4. सूचना की किस्म– लिखित / मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी –एसीबी चौकी पाली से उत्तर–पूर्व लगभग 06 कि.मी.
(ब) पता – कार्यालय बाल कल्याण समिति, पाली, जिला पाली
...... बीट सख्या ...... जरायमदेही सं. ......
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना ...... जिला ......

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम.... चम्पा कुंवर
(ब) पिता का नाम श्री रणछोडसिंह......
(स) जन्म तिथि / वर्ष ......
(द) राष्ट्रीयता........भारतीय ......
(य) पासपोर्ट सख्या ...... जारी होने की तिथी...... जारी होने की जगह......
(र) व्यवसाय.... ...प्राईवेट......
(ल) पता .. गांव साण्डेराव जिला पाली ......

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–
1. श्री सुधीर काकाणी पुत्र श्री किशन काकाणी, जाति माहेश्वरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मकान न. 47, सरदार पटेल नगर, पाली, (प्राईवेट व्यक्ति) मध्यस्थ।
2. श्रीमती ईन्दु चौपडा पत्नी श्री नरेन्द्र चौपडा, जाति ओसवाल जैन, उम्र 67 वर्ष, निवासी म.सं. 1 ए, लोकोशेड रोड, रातानाडा, जोधपुर हाल सदस्य बाल कल्याण समिति, पाली।
3. श्री सीताराम पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 72 वर्ष, निवासी म.नं. 2 च 33 पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली हाल अध्यक्ष बाल कल्याण समिति पाली।
4. श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति माली, उम्र 67 वर्ष, निवासी रामासनी बाला रोड, सोजत सिटी, जिला पाली हाल सदस्य बाल कल्याण समिति पाली।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण :– कोई नही......
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशेष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
......10,000 रूपये रिश्वत राशि ......
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पत्रावली / यूडी केस सख्या (अगर हो तो)......
......10,000 रूपये रिश्वत राशि ......

11. ......
विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पाली राज. विषय– रिश्वत की मांग के संबंध मे। महोदय, मुझे प्रार्थीया चम्पा कंवर D/O रणछोडसिंह जाति– रावणा राजपूत, निवास साण्डेराव कि अरज इस प्रकार है कि वर्ष 2020 में पुलिस थाना, साण्डेराव में मेरी बच्ची अंजली कंवर के साथ दुराचरण को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था FIR NO 163/2020 में दर्ज करवाया जिसमें पुलिस ने कार्यवाही कर पुलिस ने आरोपी मोहन सिंह को जेल में डाला था, कोर्ट ने उसे सजा दे दी। मैंने इस मुकदमें के क्रम में सरकार कि योजना के अनुसार पिड़ित प्रतिकार योजना के अंतर्गत आवेदन किया था, जिला प्रतिकार कमेटी ने मेरे आवेदन पर 5–6 लाख रूपये स्वीकृत किया है कि इसके बारे में C.W.C बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती इन्दू चौपडा ने मुझे फोन करके मों0 8209729047 ओर वकील साहब सुधीर कांकाणी मों0 9828326500 इन दोनों नं0 द्वारा मुझे फोन करके उक्त स्वीकृत राशि में कमीशन में 10% कमीशन की मांग कर रहे है मैं मेरी उक्त राशी में किसी भी तरह का इन लोगों की कोई भूमीका नहीं है। यह रिश्वत के रूप मे ATM ओर चेक बुक उक्त राशी की मांग कर रहे है धमकी दे रहे है की जब तक पैसे नही देगे तब तक उक्त स्वीकृत राशी मेरे खाते में जमा नही होने देगे। मैं इस तरह मैं रिश्वत राशि इन लोगों को नहीं देना चाहती हुं उक्त पैसे देते समय रंगे हाथों पकडना चाहती हुं कानुनी कार्यवाही की जाएं। दिनांक 15/2/22 प्रार्थीया एस.डी. चम्पा कुवर मों0 8890414770

कार्यवाही ए.सी.बी. पाली दिनांक 15.02.2022 वक्त 01.00 पी.एम.

आज दिनांक 15.02.2022 को वक्त 01.00 पी.एम. पर परिवादिया चम्पा कुंवर पुत्री श्री रणछोडसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी सांडेराव जिला पाली कार्यालय हाजा पर उपस्थित आयी तथा एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि वर्ष 2020 में पुलिस थाना साण्डेराव में मेरी बच्ची अंजली कंवर के साथ दुराचार को लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। एफआईआर नम्बर 0163/2020 में दर्ज करवाया जिसमें पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपी मोहनसिंह को जेल में डाला था कोर्ट ने उसे सजा दे दी। मैने इस मुकदमें के क्रम में सरकार की योजना के अनुसार पीडित प्रतिकार योजना के अंतर्गत आवेदन किया था जिला प्रतिकार कमेटी ने मेरे आवेदन पर 05 से 06 लाख रूपये स्वीकृत किया है कि इसके बारे में सीडब्लयूसी बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती इन्दु चौपड़ा ने मुझे फोन करके मोबाइल नम्बर 8209729047 और वकील साहब सुधीर कांकाणी मोबाइल नम्बर 9828326500 इन दोनो नम्बर द्वारा मुझे फोन करके उक्त स्वीकृत राशि में कमीशन में 10 प्रतिशत आस–पास कमीशन की मांग कर रहे है। मैं मेरी उक्त राशि में किसी भी तरह का इन लोगो की कोई भूमिका नही है। यह रिश्वत के रूप में ए.टी. एम. और चेक बुक उक्त राशि की मांग कर रहे है, धमकी दे रहे है कि तब तक पैसे नही देंगे तब तक उक्त स्वीकृत राशि मेरे खाते में जमा नही होने देंगे। मैं इस तरह से रिश्वत राशि इन लोगो को नही देना चाहती हूं उक्त पैसे देते समय रंगे हाथो पकडना चाहती हूं। कानूनी कार्यवाही की जाएं। परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन कर परिवादिया की रिपोर्ट को पढकर सुनाई तो सभी तथ्य सही होना स्वीकार किया। परिवादिया चम्पा कुंवर ने दरियाफत पर बताया कि मेरी बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती इन्दु मैडम, एंव वकील श्री सुधीर कांकाणी से कोई रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन–देन बकाया है मेरे काम में इन्दु मैडम द्वारा बताये गये वकील श्री सुधीर कांकाणी की कोई भूमिका नही है यह लोग मेरे को मेरे काम करने में किये गये प्रयासों के बारे में मुझे झुठ ही बता रहे है जबकि मेरे कार्य में वकील की कोई भूमिका नही रही है। केवल कमीशन के रूप में रिश्वत प्राप्त करने के लिये बढ़ा–चढ़ा कर बाते बता रहे है। परिवादिया की रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया जाने से रिश्वत राशि मांग के सम्बन्ध में सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादिया ने बताया की मैं रिश्वत राशि के संबध में कल दिनांक 16.02.2022 को इन्दु मैडम व सुधीर कांकाणी वकील साहब से बाल कल्याण समिति कार्यालय पाली में मिलूंगी जिस पर परिवादिया को उचित समझाईश कर कार्यालय हाजा के कानि. श्री रतनसिंह को बुलाकर परिवादिया से मिलाया तथा बताया कि श्री रतनसिंह कल दिनांक 16.02.2022 को मिलेगा जो वॉयस रिकार्डर आपको देगा जिसमें आप रिश्वत राशि मांग से संबंधी वार्ता रिकार्ड करने की कार्यवाही करना। बाद समझाईश गोपनीयता की हिदायत देकर परिवादिया को रूखसत किया गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने से श्री रतनसिंह कानि. को कार्यालय हाजा का वॉयस रिकार्डर सुपूर्द कर परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर से संपर्क कर कल दिनांक 16.02.2022 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधी अग्रिम कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया। दिनांक 16.02.2022 समय 10.00 पी.एम. मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री रतनसिंह कानि. ने वॉयस रिकार्डर सुपूर्द करते हुए बताया कि निर्देशानुसार दिन में मैं परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर से मिला जिसको वॉयस रिकार्डर चालु कर सुपूर्द किया जिस पर चम्पा कुंवर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के लिये किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय पाली में गयी तथा मैं बाहर ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये खडा रहा। कुछ समय पश्चात श्रीमती चम्पा कुंवर किशोर न्याय बोर्ड कार्यालय से बाहर आयी तथा वॉयस रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। मांग सत्यापन वार्ता के बाद परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर ने मुझे बताया कि खाते में रूपये आने के बाद बाल कल्याण बोर्ड कार्यालय के इन्दु मैडम व वकील श्री सुधीर कांकाणी ने मिलने के लिये कहा तथा रूपये देने के लिये उसी समय मिलने के लिये कहा है। हालात जरिये टेलिफोन मैने श्रीमान को पूर्व में निवेदन किये थे श्रीमान के निर्देशानुसार परिवादिया को रूखसत कर दिया गया। कानि. श्री रतनसिंह के बताये अनुसार मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा भी वॉयस रिकार्डर को चालु कर सुना गया जिसमें रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर के बताये अनुसार रिश्वत राशि लेन–देन की कार्यवाही श्रीमती चम्पा कुंवर के खाते में प्रतिकार की राशि आने के बाद ही होने से प्रतिकार की राशि खाते में आने तक कार्यवाही शेष रखी गयी। श्री रतनसिंह कानि. को निर्देशित किया की समय–समय पर परिवादिया से सम्पर्क करे तथा प्रतिकार राशि खाते में आने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करे। दिनांक 30.05.2022 समय 11.30 ए.एम. पर परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आयी तथा बताया की मेरे प्रतिकार की राशि प्राप्त हो चुकी है जिसकी एफ.डी. मेरी बच्ची के नाम बनी हैं अब मुझे बाल कल्याण बोर्ड से वकील सुधीर कांकाणी फोन करके बुला रहे है। इन्दु मैडम ने भी मुझे वकील सुधीर कांकाणी से मिलने के लिये कहा तथा कहा कि वकील साहब ने आपके इस मेटर में बहुत दौड–भाग व मेहनत की है इनका जो कमीशन बनता है

उसके संबंध में इनसे बात कर लो। वकील सुधीर कांकाणी की मेरे इस मेटर में कोई भूमिका नही है। वकील सुधीर कांकाणी को इन्दु मैडम और बाल कल्याण बोर्ड कार्यालय के ही लोगो ने रिश्वत राशि लेने के लिये मध्यस्थता के रूप में बनाया हुआ है जबकि इनका कोई काम नही है क्योंकि मैने मेरे कागज मेरे वकील से तैयार करवाये थे। वकील सुधीर कांकाणी को मेरे काम के लिये मैने कोई वकालातनामा आदि नही दिया तथा ना ही मेरे काम के लिये कहा। परिवादिया के बताये अनुसार एवं परिवादिया के रिपोर्ट के मुताबिक बाल कल्याण बोर्ड की कमेटी द्वारा श्री सुधीर कांकाणी वकील के माध्यम से कमेटी के मामलो में मध्यस्थता कर रिश्वत राशि प्राप्त कर बोर्ड के सदस्यों में बांटने की कार्यवाही की जाती है। परिवादिया के बताये अनुसार श्री रतनसिंह कानि. को कार्यालय हाजा का वॉयस रिकार्डर देकर परिवादिया के साथ वकील सुधीर कांकाणी से आज दिनांक को रिश्वत राशि कमीशन के संबंध में होने वाली वार्ता रिकार्ड कर लाने हेतु वक्त 12.15 पी.एम. पर रवाना किया गया। समय 01.30 पी.एम. श्री रतनसिंह कानि. व परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर कार्यालय हाजा पर बाद सत्यापन उपस्थित आये तथा श्री रतनसिंह ने वॉयस रिकार्डर मय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द किया। श्री रतनसिंह कानि. ने बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर को साथ लेकर बाल कल्याण बोर्ड कार्यालय पाली गया तथा कार्यालय के बाहर वॉयस रिकार्डर चालु कर दिया जिस पर परिवादिया बाल कल्याण बोर्ड की तरफ गई। मैं अपनी उपस्थिति छुपाते हुए बाहर ही खडा रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादिया बाहर आयी मेरे से मिली तथा वॉयस रिकार्डर मुझे सुपूर्द किया जिसको मैने बंद कर अपने पास रखा तथा हम दोनो वहां से रवाना होकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। पास ही खडी परिवादिया श्रीमती चम्पा कुंवर ने भी उक्त कानि. के कथनो की ताईद करते हुये बताया की मै आज बात करने गई तब बाल कल्याण समिति कार्यालय में श्रीमती इन्दु मैम व वकील सुधीर काकाणी एवं बोर्ड के अध्यक्ष श्री सीताराम, सदस्य श्री लक्ष्मण सभी बैठे थे। मैने मेरे काम के लिए मांगे जाने वाले कमीशन के बारे में बात की श्रीमती इन्दु मैडम ने सुधीर काकाणी से बात करने का बोला जिस पर पास मे ही बैठे सुधीर काकाणी वकील साहब से बोला तो उन्होंने बताया कि वैसे तो हमारा 10 प्रसेन्ट का सिस्टम है। तो मैने कहा कि मेरे पास अभी है नही मै दो किस्तों में दूंगी। उन्होने मेरी बात स्वीकार कर ली। मैने मेरी बच्ची को 5–7 दिन की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दी जो श्री सीताराम अध्यक्ष ने रखी। इस प्रकार परिवादिया के बताये अनुसार एवं रिश्वत राशि मांग से संबंधित रिकॉर्ड करवाई गई मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 16.02.22 को सुनने से यह स्पष्ट होता है कि बाल कल्याण समिति पाली के सदस्य श्रीमती इन्दु, श्री सीताराम अध्यक्ष, सदस्य श्री लक्ष्मण जो कि परिवादिया को वकील से मिलने व कमीशन की वार्ता वकील के माध्यम से प्राप्त करने की मंशा से एवं वकील श्री सुधीर काकाणी द्वारा परिवादिया के कार्य के लिए सकिय भूमिका निभाने की बात कह कर परिवादिया को वकील को मेहनताना देने के लिए प्रेरित कर कमीशन की राशि प्राप्त करना चाहते है। इसके लिए चारों एक राय होकर ऐसे मामालों में रिश्वत राशि प्राप्त करने की भूमिका बनाते है। वकील सुधीर काकाणी परिवादिया से रिश्वत राशि की मांग करता है। जबकि परिवादिया को प्रतिकार राशि दिलवाने एवं परिवादिया की बच्ची को हॉस्टल/अच्छी स्कूल में दाखिला करवाने के संबंध मे ऐसी कोई कार्यवाही नही होती जो कि वकील के माध्यम से किया जाना जरूरी हो। इसी प्रकार प्रतिकार राशि दिलवाने के लिए भी ऐसी कोई कार्यवाही नही होती जो कि बाल कल्याण समिति द्वारा की जाती हो जिसके लिए कार्यवाही वकील के माध्यम से की जाती हो। बाल कल्याण समिति के सदस्य श्रीमती इन्दु मैडम, अध्यक्ष श्री सीताराम एव सदस्य श्री लक्ष्मण स्वयं रिश्वत राशि की मांग नही कर रहे बल्कि वकील सुधीर काकाणी को मेहनताना के रूप में देने की बात कर रहे है। मांग सत्यापन के दौरान बाल कल्याण समिति कार्यालय में उपस्थित समिति के सदस्य/अध्यक्ष द्वारा परिवादिया को प्रतिकार की राशि मिलने पर वकील को कमीशन देने के लिये परिवादिया को प्रेरित किया जाता है। किसी के द्वारा भी इस बात का खंडन नही किया जाता है कि वकील का कोई दायित्व अथवा मेहनत नही होती है तथा न ही कोई कमीशन/मेहनताना आदि बनता है। परिवादिया चम्पा कुंवर ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी तबियत ठिक नही होने से मैं ज्यादा देर तक नही बैठ सकती तथा घर जाना चाहती हूं। मेरे पास रिश्वत राशि के रूपये नही है जिनकी व्यवस्था करूगी। रूपयों की व्यवस्था होते ही मैं आपके कार्यालय में आगे की कार्यवाही के लिये उपस्थित हो जाउंगी। परिवादिया के बताये अनुसार आगे की कार्यवाही आज सम्पादित नही होने से फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट आईन्दा बनाने का निर्णय लिया जाकर परिवादिया को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया तथा डिजिटल वॉयस रिकार्डर व परिवादिया की रिपोर्ट मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। कार्यालय हाजा के कानि. श्री रतनसिंह को समय–समय पर परिवादिया से संपर्क करने एवं अग्रिम कार्यवाही के लिये हिदायत कर संपर्क में रहने के लिये निर्देशित किया गया। दिनांक 06.06.2022 समय 02.30 पी.एम. पर परिवादिया चम्पा कुंवर

निर्देशानुसार कार्यालय हाजा पर उपस्थित आई जिसने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि रिश्वत राशि की व्यवस्था नही हुई है जब भी होगी तभी मैं रिश्वत दे पाउंगी। परिवादिया के बताये अनुसार परिवादिया के पास रिश्वत राशि नही होने से रिश्वत राशि के लिये उच्चाधिकारियों को हालात निवेदन किये जायेंगे। दिनांक 16.02.2022 व 30.05.2022 को करवायी गयी रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्डिंग की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाया जाना आवश्यक होने से तहरीर जारी कर जिला परिषद पाली से दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी की गयी। तलबीशुदा गवाहान कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिनको मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देते हुये उनका परिचय पूछा तो श्री शैलेन्द्रसिंह पुत्र श्री सोभरणसिंह उम्र 39 वर्ष जाति रावल राजपुत निवासी गांव छिवरा महू, पूर्वी बाई पास, तहसील कन्नौज जिला कन्नौज, उत्तरप्रदेश हाल कनिष्ठ लिपिक, जिला परिषद पाली जिला पाली व श्री विकास पुरोहित पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति राजपुरोहित उम्र 33 वर्ष निवासी गांव ठाकुरला पुलिस थाना गुडा एन्दला जिला पाली हाल वरिष्ठ सहायक, जिला परिषद पाली जिला पाली बताया। उपस्थित गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुए कार्यालय में उपस्थित परिवादिया से परिचय करवाया तथा परिवादिया की रिपोर्ट पढाई गयी तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन संबंधित वार्ता के कुछ अंश सुनाये गये। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान रहने की सहमति प्रदान की। डिजिटल रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता की ट्रांसस्क्रिप्ट बनाने हेतु कार्यालय हाजा के कानि. श्री रतनसिंह व कानि. श्री हनुमानसिंह को निर्देशित किया गया था जिनके द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर में रिकार्ड वार्ता को सुन-सुनकर शब्दों को टाईप किया जा चुका है। उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट बनाया जाना आवश्यक होने से कानि. द्वारा टाईप किये गये शब्दों को रिकॉर्डिंग वार्ता से हूबहू मिलान करने के लिये सुन-सुनकर वार्ता के शब्दों का मिलान कर फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट वार्ता तैयार करना शुरू किया गया। समय 06:30 पी.एम. तक ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रूबरू गवाहान एवं परिवादिया के सुन-सुनकर शब्द-बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता तैयार कर संबंधितगण के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्तालाप जो कि रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से दो सी.डी. तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली मे सील मोहर कर थैली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी.डी. को डब मानते हुए खुली हालत में रखा गया। डिजिटल रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड को भी निकालकर एक कपडे की थैली में शिल्ड मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादिया ने अपनी, सदस्य श्रीमती इन्दु चौपडा, अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा एवं सदस्य श्री लक्ष्मण व मध्यस्थ वकील श्री सुधीर काकाणी, के आवाज कि पहचान की गयी। परिवादिया चम्पा कुंवर ने रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था नही होने के बारे में बात बतायी तथा बताया कि रूपयों की व्यवस्था होने पर आगे की कार्यवाही के लिये मैं आपसे संपर्क कर कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगी। परिवादिया के बताये अनुसार परिवादिया के पास रिश्वत राशि नही होने से अग्रिम कार्यवाही आईन्दा किये जाने का निर्णय लिया गया। इस बाबत हालात उच्चाधिकारियों निवेदन किये जायेंगे। तैयार की गयी सीडीयां, मेमोरी कार्ड व दस्तावेजात मन् अति. पुलिस अधीक्षक के कब्जे में कार्यालय हाजा की अलमारी में सुरक्षित रखा गया तथा परिवादिया चम्पा कुंवर व दोनो स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर रूखसत किया गया। दिनांक 11.07.2022 समय 07:15 ए.एम. पर पाबंदशुदा कार्यालय हाजा का समस्त स्टाफ एवं ब्यूरो चौकी सिरोही से तलबशुदा महिला कानि. श्रीमती ईशुकंवर भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही व भ्रनिब्यूरो कार्यालय पाली द्वितीय का स्टाफ सर्व श्री दादुदान कानि., श्री सोहनलाल कानि. एवं श्री पुनाराम कानि. कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। परिवादिया चम्पा कुंवर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आयी। परिवादिया चम्पा कुंवर ने मन् अति. पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी श्री सुधीर काकाणी से दिनांक 07.07.2022 को फोन पर बात हुई थी जिस पर श्री सुधीर काकाणी ने मुझे सोमवार को बुलाया हैं जिस पर मैंने हालात आपको बताये थे तथा आपके बताये अनुसार आगे की कार्यवाही के लिये उपस्थित आयी हूं। परिवादिया ने बताया की रिश्वत के बारे में मेरे से दस प्रतिशत राशि रिश्वत की राशि मांगी गयी थी जो दस प्रतिशत के हिसाब से बनने वाली राशि की व्यवस्था मेरे पास नही होने से अभी मेरे पास 10,000/- रूपये की व्यवस्था हुई है तथा मैंने इनको रिश्वत राशि किश्तों में देने का बोल रखा हैं। मेरे पास 10,000/- रूपयों की व्यवस्था हुई जो मैं लेकर आयी हूं तथा पूर्व में रिश्वत के बारे में हुयी वार्ता के क्रम में आज रिश्वत राशि देने जाउंगी। परिवादिया के बताये अनुसार परिवादिया के पास 10,000/- रूपये की ही व्यवस्था होने से आरोपीगणों द्वारा मांग की गयी रिश्वत राशि की पहली किश्त 10,000/- रूपये रिश्वत राशि का लेन-देन होने के संबंध में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया। समय 07:30 ए.एम. पर पाबंदशुदा गवाह श्री शैलेन्द्रसिंह

कनिष्ठ लिपिक व श्री विकास पुरोहित वरिष्ठ सहायक जिला परिषद पाली से कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये। दोनो स्वतंत्र गवाहान व उपस्थित परिवादिया चम्पा कुंवर का आपस में परिचय करवाया गया। बाद परिचय दोनो गवाहान को कार्यवाही के संबंध में हालात बताये। दोनो गवाहों ने परिवादिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं मांग सत्यापन वाली से संबंधित तथ्यों पर की जाने वाली कार्यवाही को उचित मानते हुये अग्रिम कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक सहमति दी। समय 08:40 ए.एम. पर पाबंदशुदा श्रीमती अनु चौधरी पुलिस निरीक्षक भ.नि.ब्यूरो. जोधपुर ग्रामीण ट्रेप कार्यवाही में इमदाद हेतु कार्यालय हाजा पर उपस्थित आयी। समय 09:05 ए.एम. पर रूबरू गवाहान के परिवादिया चम्पा कुंवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि प्रस्तुत करने का कहा गया तो चम्पा कुंवर ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/-- रूपये प्रस्तुत किये। परिवादिया चम्पा कुंवर एवं स्वतंत्र गवाहान के रूबरू सोडियम कार्बोनेट व फिनोपथलीन पाऊडर की क्रिया-प्रतिक्रिया कानि. श्री दशरथसिंह 428 से प्रदर्शित करवाई जाकर फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनोपथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर तैयार की गई। जिसका विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर फर्द पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल कार्यवाही किया गया। परिवादिया को रिश्वत राशि लेन-देन होने के पश्चात गोपनीय ईशारा दो-तीन बार सिर पर हाथ फेरकर या मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर मिस्ड कॉल/कॉल करने की समझाईश की गयी। उक्त गोपनीय ईशारे के बारे में ट्रेप कार्यवाही के समस्त सदस्यों को भी समझाया गया। समय 12:05 पी.एम. पर परिवादिया चम्पा कुंवर को ब्यूरो स्टाफ श्री नरेन्द्र कानि. के साथ कानि. की निजी मोटरसाईकिल से रिश्वत राशि लेन-देन की अग्रिम कार्यवाही हेतु बाल कल्याण समिति पाली कार्यालय के लिये रवाना करते हुये कार्यालय हाजा का डिजिटल वायस रिकार्डर लेन-देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादिया को सुपुर्द करते हुये उचित समझाईश की गयी। परिवादिया व कानि. के पीछे-पीछे मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह श्री लक्ष्मणदान हैड कानि. कार्यालय हाजा के स्टाफ की निजी मोटरसाईकिल से व स्वतंत्र गवाहान श्री शैलेन्द्रसिंह को उसकी निजी मोटरसाईकिल से हमराह लेकर बाल कल्याण समिति पाली के कार्यालय की तरफ रवाना हुआ तथा अन्य ब्यूरो टीम के रूप में मन् अति. पुलिस अधीक्षक के पीछे-पीछे आने के लिये श्रीमती अनु चौधरी पुलिस निरीक्षक को उसके निजी वाहन से हमराह कानि. श्री रतनसिंह, श्री हनुमानसिंह व स्वतंत्र गवाह श्री विकास पुरोहित एवं महिला कानि. ईशुकंवर को एवं सरकारी वाहन बोलेरो से अन्य टीम सदस्य श्री किशनसिंह हैड कानि., श्री पुनाराम कानि., श्री सोहनलाल कानि. एवं श्री दादुदान कानि. को मय ट्रेप बॉक्स एवं ट्रेप कार्यवाही से संबंधित आवश्यक सामग्री के आने हेतु निर्देशित किया गया। समय 12:25 पी.एम. पर उपरोक्त किंगरा का रवानाशुदा मन् अति पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के जयपुर हाई-वे पर स्थित बाल कल्याण समिति पाली के कार्यालय से पूर्व ही ट्रेप पार्टी के अन्य टीम सदस्यों को फोन पर मुकीम रहने के स्थान के संबंध में निर्देशित कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ एंव स्वतंत्र गवाह ने अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल को एकांत में खड़ा कर अपनी पहचान छुपाते हुये बाल कल्याण समिति के बाहर मुख्य गेट के सामने मुकिम रहे तथा परिवादिया व श्री नरेन्द्र कानि. बाल कल्याण समिति पाली कार्यालय के परिसर में प्रवेश हुये। समय 12:50 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादिया चम्पा कुंवर ने मोबाइल पर व्हाट्सअप संदेश से इंतजार करने की सूचना दी। उक्त सूचना मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो स्टाफ के अन्य समस्त सदस्यों को दी गयी तथा समस्त नियत स्थान अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादिया के गोपनीय ईशारे के इंतजार में मुकिम रहे। समय 02:14 पी.एम. पर परिवादिया चम्पा कुंवर ने अपने मोबाइल से मन् अति. पुलिस अधीक्षक के मोबाइल पर रिश्वत राशि लेन-देन हो जाने के संबंध में व्हाट्सअप संदेश किया जिस पर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने समस्त ब्यूरो स्टाफ को बाल कल्याण समिति पाली के कार्यालय में वाहन सहित आने के लिये निर्देशित किया तथा मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह स्वतंत्र गवाह एवं ब्यूरो स्टाफ के पैदल-पैदल बाल कल्याण समिति के परिसर की तरफ रवाना होकर परिसर में स्थित कार्यालय भवन के पास पहुंचा जहा पर निर्देशानुसार अन्य ब्यूरो स्टाफ भी कार्यालय भवन के पास उपस्थित आ गये जिनको हमराह लेकर भवन के अंदर प्रवेश किया तथा मालूमात कर बाल कल्याण समिति कार्यालय भवन में बोर्ड के संचालन हेतु निर्धारित पीछे के कक्ष में पहुंचा तो कक्ष के गेट पर परिवादिया चम्पा कुंवर मिली जिसने पूर्व में दिया गया वॉयस रिकार्डर मन् अति. पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसे प्राप्त कर बंद कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक के कब्जे में सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक हमराह जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान के कार्यालय कक्ष में प्रवेश हुआ तो कक्ष में सामने की तरफ तीन लम्बी टेबल लगी हुई पायी गयी। उक्त टेबलों के सामने की तरफ दो व्यक्ति व एक महिला बैठे हुये मिले तथा इनके सामने बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला। उक्त व्यक्ति की तरफ परिवादिया चम्पा कुंवर ने ईशारा कर बताया कि यही श्री सुधीर काकाणी वकील साहब हैं जिन्होंने मेरे से

अभी–अभी रिश्वत राशि का लिफाफा दिया जो इनके आगे टेबल पर मोबाइल के नीचे रखा हैं। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये आने के मन्तव्य से अवगत करवाकर परिवादिया के बताये व्यक्ति से परिचय पूछा तो उस व्यक्ति ने अपना नाम श्री सुधीर काकाणी पुत्र श्री किशन काकाणी, जाति माहेश्वरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मकान नं. 47, सरदार पटेल नगर, पाली, अधिवक्ता होना बताया। तत्पश्चात श्री सुधीर काकाणी को परिवादिया चम्पा कुंवर से प्राप्त किये गये रिश्वत राशि के लिफाफे के बारे में पूछा तो श्री सुधीर काकाणी ने बताया कि मैने कोई रिश्वत राशि का लिफाफा नही लिया इस पर श्री सुधीर काकाणी के आगे टेबल पर रखी कार्यालय की पत्रावली के ऊपर सफेद कागज का लिफाफा रखा हुआ जिस पर श्री सुधीर काकाणी का मोबाइल रखा हुआ पाया गया उक्त के बारे मे पूछने पर श्री सुधीर काकाणी ने कोई जानकारी नही होना बताया। इस पर पास ही खडी परिवादिया ने स्वतः ही बताया की मेरे प्रतिकार की राशि स्वीकृत कराने की एवज में इन्दु मैडम, सीताराम जी सर व लक्ष्मण जी सर द्वारा कमीशन के रूप में 10 प्रतिशत राशि श्री सुधीर काकाणी को देने के लिये बार–बार कह रहे थे जबकि मेरे काम के लिये सुधीर काकाणी की कोई भूमिका नही थी फिर भी मुझे फोन कर रिश्वत राशि सुधीर काकाणी को देने के लिये कह रहे थे। मैं आज इनके कहे अनुसार कमीशन की एक किश्त 10,000/– रूपये श्री सुधीर काकाणी को देने के लिये बाल कल्याण समिति पाली कार्यालय में आयी तब ईन्दु मैडम, सीताराम जी सर के कहे अनुसार मैने रिश्वत राशि का लिफाफा श्री सुधीर काकाणी वकील साहब को दिया तो उसने लिफाफा हाथ में लेकर अपने सामने ही टेबल पर रख दिया तथा अपना मोबाइल लिफाफे के ऊपर रख दिया जो इनके आगे पड़ा है। परिवादिया के बताये तथ्यों के क्रम में श्री सुधीर काकाणी से इस बारे में पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने उक्त लिफाफा स्वतंत्र गवाह से उठवाया जाकर अवलोकन करवाया गया तो इस लिफाफे में 500–500 रूपयों के नोट होना पाया गया जिसको गवाह श्री विकास पुरोहित द्वारा गिना गया तो 10,000/– रूपये होना पाया गया। उक्त नोटो के नम्बरों का मिलान पूर्व में तैयारशुदा फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों से करवाया तो हूबहू होना पाये गये। जिनका विवरण निम्नानुसार हैं–

1.	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	8-GV-317833
2	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	0-LU-616327
3	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9-NK-604259
4	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6-FV-489592
5	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	9-MK-670362
6	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7-KT-756334
7	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9-QM-516177
8	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	1-NA-246180
9	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0-ES-783478
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	6-SE-926184
11	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	6-VH-533211
12	एक नोट पाव सौ रूपये का नम्बरी	2-AS-311668
13	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0-VK-144299
14	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	4-BH-609598
15	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9-GW-676749
16	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	1-DC-427369
17	एक नोट पाव सौ रूपये का नम्बरी	5-EB-344678
18	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3-RH-298413
19	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2-HS-695196
20	एक नोट पाच सौ रूपये का नम्बरी	0-SN-265843

उक्त बरामदा रिश्वति राशि को गवाह श्री शैलेन्दसिंह को आवश्यक हिदायत के साथ अपने पास सुरक्षित रखने हेतु संभलाया गया। तत्पश्चात उक्त कक्ष में उपस्थित अन्य व्यक्तियों से परिचय प्राप्त किया गया तो बीच में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सीताराम पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राहम्ण, उम्र 72 वर्ष, निवासी म.नं. 2 च 33, पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली हाल अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, पाली एवं दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम श्री लक्ष्मणराम पुत्र श्री मिश्रीलाल, जाति माली, उम्र 67 वर्ष, निवासी रामासनी बाला रोड, सोजत सिटी, जिला पाली हाल सदस्य, बाल कल्याण समिति, पाली सेवानिवृत, प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग व महिला ने अपना परिचय श्रीमती ईन्दु चौपडा पत्नी श्री नरेन्द्र चौपडा, जाति ओसवाल जैन, उम्र 67 वर्ष, निवासी म.सं. 1 ए, लोकोसेड रोड, रातानाडा, जोधपुर हाल

सुधीर काकाणी

सदस्य, बाल कल्याण समिति, पाली सेवानिवृत्त उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग होना बताया। उक्त तीनो को भी पुनः आने के मन्तव्य से अवगत करवाते हुये परिवादिया से श्री सुधीर काकाणी वकील को रिश्वत राशि दिलाने के संबंध में पूछा तो उपरोक्त तीनो ने कहा कि हमने कोई रिश्वत राशि का लिफाफा नही दिलाया। वकील साहब ने कोई लिये होंगे तो इनकी फिस होगी क्योंकि चम्पा के मुकदमे में इन्होंने काम किया है। परिवादिया से रिश्वत राशि का लिफाफा श्री सुधीर काकाणी (मध्यस्थ) ने अपने हाथ से प्राप्त कर टेबल पर रखकर अपना मोबाइल ऊपर रखा इस पर आरोपी श्री सुधीर काकाणी के हाथों का एवं बरामदगी स्थल का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से कार्यालय, बाल कल्याण समिति, पाली से ही पीने का साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ गिलास निकलवाकर गिलासों में पानी डालकर सोडियम कार्बोनेट पाऊडर का घोल तैयार किया गया। उक्त दोनो गिलासों के घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरिन ने भी रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त दोनों गिलासों के घोल में सुधीर काकाणी के दाहिनें व बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को अलग-अलग गिलासों में डुबोकर धुलवाया गया तो दोनों गिलासों का रंग परिवर्तित होकर हल्का मटमैला हो गया जिसे संबंधितों ने मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त दोनो गिलासों के घोल को अलग-अलग साफ चार शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चीट कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर दोनो हाथों की अलग-अलग चारों शीशियों पर मार्क क्रमशः आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। रिश्वत राशि का लिफाफा जो कि कार्यालय कक्ष में अध्यक्ष श्री सीताराम की टेबल पर रखी उनके कार्यालय के पत्रावली के उपर श्री सुधीर काकाणी के मोबाइल के नीछे से बरामद होने से श्री सुधीर काकाणी के मोबाइल के ऊपरी कवर एवं पत्रावली के ऊपरी कवर का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से बाल कल्याण समिति, पाली के कार्यालय से ही साफ पीने का पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में से तीसरा साफ गिलास मंगवाया जाकर पानी व सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया उक्त घोल का रंग अपरिवर्तित रहा जिसे हाजरिन ने भी अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल मे एक कपडे का टुकडा डुबोकर मोबाइल के कवर एवं पत्रावली के कवर पर रगड कर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का मटमैला हो गया जिसे भी हाजरिन ने हल्का मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त गिलास के घोल को अलग-अलग साफ दो शीशियों मे आधा-आधा भरकर सील चीट कर चीट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशियों पर मार्क टी-1, टी-2 अंकित किया गया। उपरोक्त धोवन की छः शीशियां कब्जा एसीबी ली गयी। तत्पश्चात बरामदगी स्थल का धोवन लिये जाने हेतु उपयोग में लिये गये कपडे के टुकडे को एक कपडे की थैली में शिल्ड कर थैली पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात घटनास्थल बाल कल्याण समिति कार्यालय के साथ-साथ बालकों का प्रतिप्रेक्षण केन्द्र साथ ही संचालित होना एवं बाल कल्याण न्यायालय इस भवन में ही संचालित होने से मौके पर भीड-भाड एवं अग्रिम कार्यवाही में व्यवधान की संभावना से सुरक्षा को मध्यनजर रखते हुये अग्रिम कार्यवाही एसीबी कार्यालय पाली द्वितीय में करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात एन. अति. पुलिस अधीक्षक हमराह ब्यूरो स्टाफ स्वतंत्र गवाहान एवं श्री सुधीर काकाणी वकील (मध्यस्थ), श्री सीताराम अध्यक्ष, श्रीमती ईन्दु चौपडा सदस्य एवं श्री लक्ष्मणराम सदस्य को हमराह लेकर मय जब्तशुदा आर्टिकल के हमराह लेकर गये अलग-अलग वाहनों से बाल कल्याण समिति कार्यालय पाली से वक्त 2:45 पी.एम. पर रवाना होकर एसीबी कार्यालय पाली द्वितीय पर उपस्थित आया तथा अग्रिम कार्यवाही करना शुरू किया गया।

तत्पश्चात हमराह लाये गये चारो संदिग्ध व्यक्तियों से विस्तृत पूछताछ परिवादिया से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में किया जाना आवश्यक होने से बारी-बारी पूछताछ करना प्रारम्भ किया गया तो श्री सुधीर काकाणी से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो श्री सुधीर काकाणी ने बताया कि परिवादिया चम्पा कुंवर की बच्ची के पॉक्सो के मामले में सत्यापित प्रतियां माननीय न्यायालय से मेरे द्वारा निकलवायी गई थी, जिसका एक सेट मैंने चम्पा कुंवर को दिया तथा एक सेट मैंने अपने पास रखा जो मैंने प्रतिकार राशि हेतु लगाये जाने वाले आवेदन के साथ माननीय न्यायालय में पेश किया था। जिस पर श्री सुधीर काकाणी को पूछा गया कि क्या आपको चम्पा कुंवर ने बतौर वकील नियुक्त किया है जिस पर बताया कि मैंने वकालत नामा नहीं दिया है, लेकिन कार्य करने का चम्पा कुंवर ने कहा, मैं चम्पा कुंवर के मामले में अधिकृत रूप से वकील नहीं रहा हूं। प्रतिकार राशि दिलवाने हेतु किसी वकील का होना जरूरी हो ऐसा नहीं है। आज चम्पा कुंवर बाल कल्याण समिति पाली कार्यालय में उपस्थित आयी थी, उस समय कार्यालय कक्ष में श्री सीताराम अध्यक्ष, श्रीमती ईन्दु चौपड़ा सदस्य एवं श्री लक्ष्मणराम सदस्य बाल कल्याण समिति, पाली भी उपस्थित थे। उस समय चम्पा कुंवर ने मेरे से बातां की तथा साथ लायी सफेद कागज का लिफाफा मेरे आगे टेबल पर रखा जिस पर मैंने मेरा मोबाईल रख दिया। चम्पा कुंवर मुझे बार-बार मिठाई खाने का आग्रह कर रही थी, साथ ही यह भी कह

रही थी कि लिफाफे में दस हजार रुपये लायी हूं लेकिन मैंने चम्पा कुंवर द्वारा दिये गये लिफाफे को नहीं खोला।

तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमती ईन्दु चौपडा से परिवादिया द्वारा श्री सुधीर काकाणी को रिश्वत राशि दिलवाने के संबंध में पूछा तो बताया की मुझे ऐसी कोई बात ध्यान में नही कि मैने चम्पा कुंवर को रिश्वत राशि श्री सुधीर काकाणी को देने के लिये कहा। चम्पा कुंवर एक–डेढ महिने पहले हमारे ऑफिस में उसकी बच्ची को छुट्टी पर ले जाने के लिये आयी थी। उस दिन मैने रिश्वत राशि या वकील सुधीर काकाणी को कमीशन देने की बात कही हो तो मेरे ध्यान में नही आ रहा है। आज चम्पा कुंवर हमारे कार्यालय में आयी थी, मिठाई का पैकेट लायी तथा सभी को खिलाई। चम्पा कुंवर के हमारे ऑफिस में आने के बाद श्री सुधीर काकाणी वकील भी हमारे कार्यालय कक्ष में आये उस समय चम्पा कुंवर मेरे कार्यालय में ही उपस्थित थी। चम्पा कुंवर ने आज दिन में मुझे दो बार कॉल किया था तथा मेरी बात हुई थी कि मैं गाडी में हुं, रास्ते में हुं, बाद में बात करूंगी। आज दिन में आपके आने से पहले मेरे कार्यालय कक्ष में अध्यक्ष श्री सीताराम जी व श्री लक्ष्मणराम सदस्य उपस्थित थे तब कार्यालय कक्ष में ही श्री सुधीर काकाणी व चम्पा कुंवर के बीच फिस के बारे में कुछ बहस चल रही थी तब मैने कहा कि यह गरीब है, यह नही दे सकती है।

तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री सीताराम अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, पाली से परिवादिया चम्पा कुंवर द्वारा वकील सुधीर काकाणी को कमीशन की राशि दिलवाने के संबंध में पूछा तो बताया कि आज दिन में चम्पा कुंवर हमारे ऑफिस में आयी थी तब मैं व श्री लक्ष्मणराम सदस्य एवं श्रीमती ईन्दु चौपडा सदस्य कार्यालय में उपस्थित थे हम अपनी सीट पर ही बैठे थे। कुछ समय पश्चात वकील सुधीर काकाणी भी हमारे कार्यालय कक्ष में आया तथा मेरी टेबल के सामने लगी कुर्सी पर बैठ गया। चम्पा कुंवर मिठाई का पैकेट लेकर आयी थी जो कार्यालय स्टाफ को खिलाया। उसके बाद चम्पा कुंवर व वकील सुधीर काकाणी की फिस को लेकर बातचीत हुई। चम्पा कुंवर ने श्री सुधीर काकाणी वकील को सफेद कागज का लिफाफा दिया जो सुधीर काकाणी ने टेबल पर रखा तथा अपना मोबाइल ऊपर रख दिया। सुधीर काकाणी व चम्पा कुंवर बात कर रहे थे तब ईन्दु मैडम बीच–बीच में बोल रही थी। मैं थोडा ऊंचा सुनता हूं इसलिए मुझे उनकी बातें स्पष्ट समझ में नही आयी।

तत्पश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री लक्ष्मणराम सदस्य बाल कल्याण समिति, पाली से परिवादिया द्वारा श्री सुधीर काकाणी को कमीशन/रिश्वत राशि दिलवाने के संबंध में पूछा तो बताया कि चम्पा कुंवर हमारे ऑफिस में आयी थी तथा प्रतिकार राशि के संबंध में कमीशन सुधीर काकाणी को दिलवाने के संबंध में वार्ता हुयी थी मगर मैने मेरे लिये कोई स्वीकृति नही दी। प्रतिकार की राशि के संबंध में वकील की भूमिका आवश्यक नही होती इस संबंध में मैने चम्पा कुंवर को पूर्व में समझाया था। हमारे कार्यालय में महिला उत्पीडन से संबंधित समस्त कार्य श्री ईन्दु चौपडा सदस्य संपादित करती है। चम्पा कुंवर हमारे कार्यालय में तीन–चार बार आयी थी। सुधीर काकाणी वकील को कमीशन दिलवाने के संबंध में वार्ता मेरे सामने नही हुयी थी तथा न ही मुझे इस संबंध में जानकारी है। आज चम्पा कुंवर हमारे कार्यालय में आयी थी तथा मिठाई का पैकेट भी साथ लेकर आयी स्टाफ को मिठाई खिलाई उसके बाद श्री सुधीर काकाणी वकील हमारे कार्यालय कक्ष में आये, इन दोनो की आपस में वार्ता हुयी तथा चम्पा कुंवर ने कमीशन/फिस कागज के लिफाफे में सुधीर काकाणी को दिया जो सुधीर काकाणी ने प्राप्त कर टेबल पर रखवाकर ऊपर स्वयं का मोबाइल रख दिया। श्री सुधीर काकाणी द्वारा ली गयी रिश्वत राशि के संबंध में मेरा कोई हिस्सा नही है।

उपरोक्त चारो के पूछताछ तथ्यों के संबंध में उपस्थित परिवादिया चम्पा कुंवर ने स्वतः ही उपरोक्त चारो की बात का खण्डन करते हुए बताया कि श्री सुधीर काकाणी झुठ बोल रहे है मैने मेरे किसी कार्य के लिये इनको नही कहा मेरा वकील अलग है तथा पूर्व में भी मैं रिश्वत राशि मांग के संबंध में वार्ता करने आयी तब भी बाल कल्याण समिति के इन तीनो ने श्री सुधीर काकाणी को कमीशन की राशि देने की बात मुझे कही तथा आज भी जब मेरे द्वारा कमीशन की राशि 10 प्रतिशत के हिसाब से मांगने पर मैने इतनी राशि एक साथ मेरे पास नही होने का कह कर मैने दो किस्तों में देने की बात कहीं तो इन्होने ने हा कहा। दो किस्तों में बनने वाली राशि की व्यवस्था भी मेरे पास नही होने से मेरे पास 10,000/– रूपयों की व्यवस्था हुई तो मैं पूर्व में तयशुदा रिश्वत राशि देने के लिए आज आई। मै इनको मांगी गई रिश्वत राशि देने के लिए नही आती क्योंकि मेरा काम हो चुका है तथा मेरे प्रतिकार की राशि मुझे प्राप्त हो चुकी है। लेकिन इस के डर कारण इनको रिश्वत राशि देने के लिए आई कि कहीं इनके द्वारा मांगी गयी रिश्वत राशि मैने नहीं दी तो ये मेरी बच्ची व बच्चे को स्कूल व होस्टल से निकलवा देगें। इस पर मै आज मेरे पास व्यवस्था हुई उतनी राशि लेकर इनको देने के लिए आई तथा आज मैने रिश्वत राशि के पाउडर लगे नोटों लिफाफा श्री सुधीर काकांणी को दिया इन सब ने मुझे

बहुत बाते सुनाई तथा दी गई राशि कम होने का कहा। तत्पश्चात उपरोक्त चारो संदिग्धों को परिवादिया चम्पा कुंवर को प्रतिकार की राशि दिलाने से संबंधित किसी प्रकार की कार्यवाही में बाल कल्याण समिति पाली की कोई भूमिका नही होने एवं उक्त कार्यवाही में वकील की आवश्यकता नही होने के बावजूद भी वकील सुधीर काकाणी प्रतिकार राशि का 10 प्रतिशत कमीशन किस अधिकार से मांग रहा था तथा बाल कल्याण समिति पाली के अध्यक्ष, सदस्यों द्वारा वकील सुधीर काकाणी को कमीशन की राशि श्री सुधीर काकाणी को देने की बात परिवादिया से क्यों की गयी। आज दिनांक को परिवादिया ने कमीशन राशि की पहली किश्त 10,000/– रूपये का लिफाफा दिया तब समिति के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा मनाही/विरोध क्यों नही किया गया तथा परिवादिया को उक्त राशि कम होने की बात क्यों की गयी? उक्त तथ्यों के संबंध में चारो संदिग्ध निरूत्तर रहे।

तत्पश्चात गवाह श्री शैलेन्द्रसिंह के पास पूर्व में सुरक्षा हेतु रखवाया गया रिश्वत राशि का लिफाफा प्राप्त कर दोनो गवाहान से फर्द पेशकशी में वर्णित नोटो के नम्बरो का पुनः मिलान करवाया गया तो हूबहू होना पाये गये उक्त नोटो को सफेद कपडे की थैली मे लिफाफे सहित डालकर सील्ड कर थैली पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय हाजा का वायस रिकार्डर जिसमें लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु परिवादिया को सुपुर्द किया गया था जो लेन–देन वार्ता रिकार्ड के पश्चात परिवादिया से प्राप्त कर मन् अति. पुलिस अधीक्षक ने कब्जे में सुरक्षित रखा था। जिसको चालु कर रिकार्ड वार्ताएं सुनी गयी तो लेन–देन के वक्त बाल कल्याण समिति, पाली के अध्यक्ष श्री सीताराम, श्रीमती ईन्दु चौपडा सदस्य, श्री लक्ष्मणराम सदस्य द्वारा परिवादिया से रिश्वत राशि/कमीशन दिलवाने की वार्ता होना पाया गया। उक्त रिकार्डर में रिकार्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक से तैयार की जाकर शामिल कार्यवाही की जायेगी।

इस प्रकार अब तक की कार्यवाही से एकत्रित साक्ष्यों के विश्लेषण से पाया गया की परिवादिया चम्पा कुंवर को प्रतिकार की राशि दिलाने की एवज में बाल कल्याण समिति, पाली के सदस्य श्रीमती ईन्दु चौपड़ा, अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा एंव सदस्य श्री लक्ष्मणराम द्वारा परिवादिया को प्रेरित कर वकील श्री सुधीर काकाणी के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से वकील श्री सुधीर काकाणी द्वारा परिवादिया के कार्य में सक्रीय भूमिका निभाने की बात कहकर परिवादिया को वकील के मेहनताना के रूप में रिश्वत राशि देने के लिये प्रेरित किया जिस पर वकील श्री सुधीर काकाणी ने परिवादिया को प्राप्त प्रतिकार राशि का 10 प्रतिशत के हिसाब से बनने वाली कमीशन राशि में से आज दिनांक को पहली किश्त के 10,000/– रूपये के नम्बरी नोट कागज के लिफाफे में प्राप्त कर बाल कल्याण समिति, पाली के कार्यालय कक्ष में समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की टेबल पर रखकर स्वयं का मोबाइल ऊपर रख दिया जहा से रिश्वत राशि सह लिफाफा बरामद होने से उपरोक्त आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.स. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। आरोपीगण श्री सुधीर काकाणी (मध्यस्थ), श्रीमती ईन्दु चौपड़ा सदस्य, श्री सीताराम अध्यक्ष व श्री लक्ष्मणराम सदस्य द्वारा किये गये जुर्म पर पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर पृथक–पृथक फर्द गिरफ्तारिया तैयार कर शामिल कार्यवाही की गयी। रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता कार्यालय हाजा के वायस रिकार्डर में रिकार्ड है उक्त वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि लेन–देन वार्ता तैयार की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से रिकार्डशुदा उपरोक्त वार्तालाप जो कि रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकार्ड है उक्त वार्ता की कम्प्युटर के माध्यम से दो सी.डी. तैयार की गई। एक सी.डी. को मूल मानते हुए सफेद कपड़े की थैली मे सील मोहर कर थैली पर सम्बधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा दूसरी सी.डी. को डय मानते हुए खुली हालत में रखा गया। डिजिटल रिकार्डर मे लगे मेमोरी कार्ड को भी निकालकर एक कपडे की थैली मे सील मोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त को कब्जे एसीबी लिया गया।

उपरोक्त तथ्यो एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादिया चम्पा कुंवर को प्रतिकार की राशि दिलाने की एवज में आरोपीगण बाल कल्याण समिति, पाली के सदस्य श्रीमती ईन्दु चौपड़ा, अध्यक्ष श्री सीताराम शर्मा एवं सदस्य श्री लक्ष्मणराम द्वारा परिवादिया को प्रेरित कर आरोपी वकील श्री सुधीर काकाणी के माध्यम से रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से वकील श्री सुधीर काकाणी द्वारा परिवादिया के कार्य में सक्रीय भूमिका निभाने की बात कहकर परिवादिया को वकील के मेहनताना के रूप में रिश्वत राशि देने के लिये प्रेरित किया। जिस पर वकील श्री सुधीर काकाणी ने परिवादिया को प्राप्त प्रतिकार राशि का 10 प्रतिशत के हिसाब से बनने वाली कमीशन राशि में से आज दिनांक को पहली किश्त के 10,000/– रूपये के नम्बरी नोट कागज के लिफाफे में प्राप्त कर बाल कल्याण समिति, पाली के कार्यालय कक्ष में समिति के अध्यक्ष/सदस्यों की टेबल पर रखकर स्वयं का मोबाइल ऊपर रख

दिया जाने से रिश्वत राशि मय लिफाफा बरामद होने तथा आरोपी के हाथों के धोवन का रंग हल्का मटमैला तथा बरामदगी स्थल फाईल कवर एवं मोबाइल के ऊपरी कवर के धोवन का रंग हल्का मटमैला आना पाया गया है। उपरोक्त आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म अंतर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.सं. का अपराध कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता है। इस प्रकार आरोपीगण वकील श्री सुधीर काकाणी पुत्र श्री किशन काकाणी, जाति माहेश्वरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी मकान नं. 47, सरदार पटेल नगर, पाली, (प्राईवेट व्यक्ति मध्यस्थ), श्रीमती ईन्दु चौपडा पत्नी श्री नरेन्द्र चौपडा, जाति ओसवाल जैन, उम्र 67 वर्ष, निवासी म.सं. 1 ए, लोकोसेड रोड, रातानाडा, जोधपुर हाल सदस्य बाल कल्याण समिति, पाली, श्री सीताराम पुत्र श्री मदनलाल, जाति ब्राह्मण, उम्र 72 वर्ष, निवासी म.नं. 2 च 33 पुराना हाउसिंग बोर्ड, पाली हाल अध्यक्ष बाल कल्याण समिति पाली, श्री लक्ष्मण राम पुत्र श्री मिश्रीलाल जाति माली, उम्र 67 वर्ष, निवासी रामासनी वाला रोड, सोजत सिटी, जिला पाली हाल सदस्य बाल कल्याण समिति पाली ने आपस में मिलीभगत कर एक राय होकर परिवादिया से रिश्वत राशि प्राप्त करने की मंशा से किया गया उक्त कृत्य जुर्म अपराध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 120बी भा.द.सं. का अपराध कारित करना पाया जाने से आरोपीगण वकील श्री सुधीर काकाणी (मध्यस्थ), श्रीमती ईन्दु चौपडा सदस्य, श्री सीताराम शर्मा अध्यक्ष एवं श्री लक्ष्मणराम सदस्य बाल कल्याण समिति पाली जिला पाली के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट बास्ते कमांकन श्रीमान् महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में सादर प्रेषित है।

(नरपत चन्द)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
पाली

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत चंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में अभियुक्तगण 1. श्री सुधीर कांकाणी पुत्र श्री किशन कांकाणी, निवासी मकान नं. 47, सरदार पटेल नगर, पाली (प्राईवेट व्यक्ति), 2. श्रीमती ईन्दु चौपड़ा, हाल सदस्य बाल कल्याण समिति, पाली, 3. श्री सीताराम, हाल अध्यक्ष बाल कल्याण समिति, पाली एवं 4. श्री लक्ष्मण राम, हाल सदस्य बाल कल्याण समिति, पाली के विरूद्ध अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 280/2022 उपरोक्त धाराओ में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

12.7.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

क्रमांक 2457-63 दिनांक 12.07.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त एवं शासन सचिव, बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोर गृह, बाल अधिकारिता विभाग, पाली।
5. सचिव, बॉर कॉसिंल, जोधपुर।
6. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली-प्रथम।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर